



श्री.

81

निगरानी प्रकरण कं० :- /12

प्रस्तुति दिनांक :- 31/10/12

न्यायालय माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल

R - 3991- PBR/12

म०प्र० ग्वालियर के समक्ष

श्री. शक्ति सिंह तोमर
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 31-10-12
को प्रस्तुत

764/31-10-2012

अधीक्षक

नन्दू पिता रोशन नायता
उम्र 71 वर्ष, धन्धा खेती
निवासी ग्राम घाटा बिल्लोद,
तह० देपालपुर जिला इन्दौर

आवेदक

विरुद्ध

सतपाल आनन्द पिता साहेब दित्तामल
आनन्द निवासी 120, जावरा
कम्पाउण्ड, इन्दौर

अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 सहपठित धारा

32 म०प्र० भू० राजस्व संहिता

मान्यवर,

माननीय श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला इन्दौर के प्रकरण
कं० 11/निगरानी/2011-12 नन्दु पिता रोशन निवासी ग्राम घाटा
बिल्लोद ग्राम घाटा बिल्लोद विरुद्ध सतपाल आनन्द पिता साहेब दित्तामल
मे धारा 5 अवधि विधान के आवेदन पर पारित आदेश दिनांक 7-8-12 से
दुखित एवं व्यथित होकर आवेदक द्वारा श्रीमान के समक्ष यह पुनरिक्षण
सादर प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

Jaypandw
and
15/11/12



700
20/11/12

195

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3991-पीबीआर/2012 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	<p>आवेदकपक्ष की ओर से सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं। आवेदकपक्ष व उसके अधिवक्ता को तीन बार पुकार लगवाई गई, परन्तु आवेदक पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण आवेदक पक्ष के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p> AJR</p> <p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	